**भारत सरकार**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 2447**
**दिनांक 13 मार्च, 2025**

**झारखंड में ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा**

**2447. श्री बृजमोहन अग्रवाल :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने झारखंड में ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए विशेष ऊर्जा सुरक्षा कोष स्थापित करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे राज्य के ऊर्जा ढांचे को किस प्रकार लाभ होगा;

(ग) क्या सरकार विशेष रूप से झारखंड में ऊर्जा उत्पादन और आपूर्ति के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या कोई वित्तीय योजना या कोष स्थापित किए जाएंगे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने झारखंड में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए कोई नीति बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इससे झारखंड में रोजगार के अवसरों और निवेश को किस प्रकार बढ़ावा मिलेगा?

**उत्तर**
**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री सुरेश गोपी)**

(क): जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने झारखण्ड राज्य सहित देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं। पीएम-कुसुम, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के निमित्त व्यवहार्यता अन्तर निधि (वीजीएफ) जैसी योजनाएँ आरम्भ की गई हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए हरित ऊर्जा गलियारा योजना के अन्तर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता सृजित करने के निमित्त वित्तपोषण किया गया है।

(घ) से (ङ): झारखंड राज्य सहित देश में कोल बेड मीथेन (सीबीएम) क्षमता का संदोहन करने के निमित्त सरकार ने वर्ष 1997 में सीबीएम नीति तैयार की, जिसमें तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम 1948 और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राकृतिक गैस होने के कारण सीबीएम की अन्वेषण और संदोहन किया जाता है। वर्ष 2018 में, सरकार ने मौजूदा उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससी), कोल बेड मीथेन (सीबीएम) संविदाओं और नामांकन क्षेत्रों के अन्तर्गत मौजूदा रकबे में अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और संदोहन के लिए एक नीति की रूपरेखा को अधिसूचित किया।

सरकार ने झारखंड में कोयला-प्रचुर क्षेत्रों से सीबीएम ब्लॉकों की पहचान की और उन्हें पेश किया। बोली के विभिन्न दौरों के अन्तर्गत, झारखंड राज्य में कुल आठ सीबीएम ब्लॉक प्रदान किए गए हैं। इन आठ ब्लॉकों में से वर्तमान में ~1405 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आच्छादित करने वाले चार सीबीएम ब्लॉक सक्रिय हैं।

(च) सीबीएम गतिविधि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार के अवसरों को बढ़ाती है। एससीबीएम-2021 के दौरान नए आवंटित ब्लॉक के प्रचालकों ने झारखंड में सीबीएम के अन्वेषण के लिए आगामी 3 वर्षों में लगभग 1.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की परिकल्पना की है। अब तक, सीबीएम प्रचालकों ने झारखंड में कोल बेड मीथेन के अन्वेषण और विकास के लिए लगभग 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है।

*****